कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक 1187 /मीरजापुर/33 दिनांक, मीरजापुर, सितम्बर 07 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय,
पिपरी–सोनभद्र।

विषय– जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–383/11–सी–एफ पी/यू0पी0/सिचाई/20269/2016/दिनांक 10.08.2017

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा वन प्रभाग की उल्लिखित बिन्दु की आपत्ति के निराकरण कर इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये आलेख का अवलोकन करने पर निम्न कमियां परिलक्षित है–

1. आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है।
2. भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्व परियोजना का लागत–लाभ विश्लेषण भारत सरकार के पत्र संख्या–166/14–2–2017–800(103)/2017 दिनांक 28.08.2017 जो 01.08.2017 से प्रभावी है की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्राक्कलन संलग्न की जाये।

अतः उपरोक्त बिन्दु के साथ संदर्भित पत्र के प्रत्येक बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

7/9/17

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 1187 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7/9/17

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर